मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)
Accredited "A" Grade by NAAC

डॉ. एम.ए. सिकंदर
कुलसचिव   सं. मानू/ ई.आर-I(बी)/मि.280/2017-18/424   दिनांक 26 जून, 2018

आदेश

विषय : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन होने पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में - बकाया निर्गमन - आदेश जारी।

संदर्भ: 1. सं. मानू/ ई.आर-I(बी)/मि.280/2017-18/1726, दिनांक 20.2.2018
2. सं. मानू/ ई.आर-I(बी)/मि.280/2017-18/1727, दिनांक 20.2.2018
3. सं. मानू/ ई.आर-I(बी)/मि.280/2017-18/1728, दिनांक 20.2.2018
4. सं. मानू/ ई.आर-I(बी)/मि.280/2017-18/1879, दिनांक 21.3.2018
5. सं. मानू/ ई.आर-I(बी)/मि.280/2017-18/245, दिनांक 17.5.2018

*****

उपरोक्त पत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों, अकादमिक स्टाफ, मॉडल स्कूल के शिक्षकों, अधिकारियों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतन संरचना कार्यान्वित किया गया। तदनुसार, फरवरी, 2018 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। आदेश 4 में उदधृत विश्वविद्यालय /महाविद्यालय शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ, विश्वविद्यालय अधिकारियों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों एवं मॉडल स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों को विश्वविद्यालय 1.1.2016 से 31.12.2017 तक का 70% बकाया पहले ही जारी कर चुकी है।

अतेव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र मि.11-1/2017(सीयू), दिनांक 20 जून,2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा (पत्र सं. मि.19-62/2017-सीयू. सीडीएन, दिनांक 23 मई, 2018) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 30%की अतिरिक्त देयता छोड़ने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिससे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन किया जाए। जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समसंख्या पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2018 के पैरा 2 (iv) में अनुबंधित है।

2. अतः कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय और अंशभूत/संघटक संस्थानों के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित श्रेणियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को 1.1.2016 से 31.12.2017 तक का बाकि 30% बकाया जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है :

(क) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सभी शिक्षको और अन्य अकादमिक स्टाफ
(ख) विश्वविद्यालय से सभी अधिकारियों (कुलसचिव, वित्त अधिकारी, संयुक्त कुलसचिव, उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक)
(ग) विश्वविद्यालय के सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
(घ) सभी शैक्षणिक कर्मचारी (मानू मॉडल स्कूलों में कार्य कर रहे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, पीजीटी/टीजीटी, पुस्तकालयाध्यक्ष, पीआरटी एवं विविध शिक्षक)

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(A Central University established by an Act of Parliament in 1998)
Accredited "A" Grade by NAAC

3. सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पॉलीटेकनीक शिक्षकों के लिए संशोधित वेतनमान के संबंध में पृथक आदेशों को जारी किया जाएगा।

4. तदनुसार वित्त अधिकारी परिशोधित अनुपात पर वेतन का बकाया जारी कर सकते है।

आदेशों के उर्दू एवं हिन्दी संस्करण का अनुसरण।

एम. ए. सिकन्दर

(डॉ एम.ए. सिकंदर)
कुलसचिव

प्रति :-

1. वित्त अधिकारी (दिनांक 20.6.18 यू.जी.सी.आदेश की प्रति के साथ)
2. कुलपति /सम-कुलपति / कुलसचिव कार्यालय
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलॉड करने हेतु)
4. हिन्दी अधिकारी एवं उर्दू अधिकारी - हिन्दी और उर्दू का संस्करण अपलॉड करने हेतु
5. संबंधित मिसिल/ कार्यालय प्रति

Gachibowli, Hyderabad – 500 032, T.S. India
दूरभाष. 91 040 23006602, फैक्स-23006603, ई-मेल- registrar@manuu.ac.in
www.manuu.ac.in